प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर ....
प्र0इ0रि0 सं. ....83/22.... दिनांक. ....9/3/2022.......

2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018 .... धारायें. 7ए
(II) अधिनियम .भा0दं0सं0 .. धारायें 120 बी
(III) अधिनियम .... धारायें ....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....187.... समय . 6.30 P.M.
(ब) अपराध घटने की दिनांक 08.03.2022 समय 11.20 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय उप पंजीयक,कलेक्ट्रेट परिसर जिला दौसा।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– पूर्व– दूरी लगभग 60 किलोमीटर
(ब) पता
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री अमिताभ शर्मा
(ब) पिता / पति का नाम स्व. श्री दीपांकर शर्मा
(स) जन्म तिथि / वर्ष 30 वर्ष.................................
(द) राष्ट्रीयता भारतीय...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय –प्राईवेट कार्य
(ल) पता – संस्कृत कॉलेज के पीछे नेहरू कॉलोनी लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा हाल– किरायेदार बी 308 मुकेश विद्यालय के पीछे लक्ष्मीनारायणपुरी थाना गलतागेट जयपुर।

<u>ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –</u>

1– श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिण्टु पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा हाल डीड राईटर प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय दौसा।

2– श्री दिनेश मीणा तत्कालीन उप पंजीयक जिला दौसा व अन्य

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...........कोई नहीं...........

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य 4000 / –रूपयें।

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

निवेदन है कि दिनांक 02.03.2022 को परिवादी श्री श्री अमिताभ शर्मा पुत्र स्व. श्री दीपांकर शर्मा जाति ब्राहम्मण उम्र 30 वर्ष निवासी संस्कृत कॉलेज के पीछे नेहरू कॉलोनी लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा हाल– किरायेदार बी 308 मुकेश विद्यालय के पीछे लक्ष्मीनारायणपुरी थाना गलतागेट जयपुर ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू.प्रथम जयपुर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय कि प्रस्तुत कि की सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. प्रथम जयपुर विषय रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकड़वाने के सम्बंध मे महोदय, निवेदन है कि मै प्रार्थी अमिताभ शर्मा पुत्र श्री दीपांकर शर्मा जाति ब्राम्हण उम्र 30 साल निवासी लालसोट दौसा संस्कृत कॉलेज के पीछे नेहरू कॉलोनी लालसोट का रहने वाला हूँ। मेरे फादर की प्रोपर्टी भूखण्ड H-5 RIICO है मेरे फादर की मृत्यू कोरोन के दौरान् हुई 2–9–20 मे उसके दौरान् भूखण्ड H-5 को मेरे माताजी श्रीमती कांता शर्मा के नाम स्थान्त किया गया RIICO विभाग द्वारा 2 बार पंजियन किया जाता है प्रथम बार जब पंजियन हुआ तब 4000 / – की मांग की गयी थी लेकिन मैने दिये नहीं थे द्वितीय बार जब भूखण्ड H-5 RIICO की रजिस्ट्री

करवाने के लिये मेरी माता श्रीमती कांता शर्मा मेरे बड़े पापा मधुसुदन शर्मा और दो गवाहो को लेकर गया वहां पर मुझे विनोद गुप्ता पंजियन कार्यालय दौसा उपस्थित मिला जिसने मेरे से उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री हेतु 8000 की मांग की जिसमे 4000/– कम्प्यूटर Opetor. के नाम से 4000 रूपये मेरे से दिनांक 28.02.2022 आकर बुलाने की मांग की जा रही है और किसी प्रकार की आपसी रंजिस नहीं है ना मेरी उधारी है मै आपसे निवेदन करता हूँ आप कानूनी कार्यवाही करे दिनांक 02/03/2022 भवदीय एस.डी. अमिताभ शर्मा 9587130123 संस्कृत कॉलेज के पीछे कॉलोनी लालसोट दौसा 303503

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष मे बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री अमिताभ शर्मा पुत्र स्व. श्री दीपांकर शर्मा उम्र 30 साल वार्ड नम्बर 19 नेहरू कॉलोनी संस्कृत कॉलेज के पीछे लालसोट दौसा थाना लालसोट दौसा के रूप मे परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को अपने साथ लेकर कार्यालय कक्ष मे आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू. प्रथम के नाम संबोधित किया गया है मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री अमिताभ शर्मा ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है तथा इसमे अंकित तथ्य सही है।

परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे पिताजी स्व श्री दीपंकर शर्मा पुत्र स्व. श्री छोटेलाल शर्मा व मेरे ताउजी श्री मधुसुदन शर्मा के नाम रीको दौसा में एच 5 बीएसएनएल टावर के सामने भूखण्ड स्थित है उक्त भूखण्ड सामलाती है उक्त भूखण्ड पर हमारा प्रोपर्टी सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है उक्त भूखण्ड वर्तमान में मेरी माताजी श्रीमती कान्ता शर्मा व मेरे ताउजी श्री मदुसुदन शर्मा के नाम आधा–आधा है। उक्त भूखण्ड का रीको द्वारा दो बार पंजीयन होता है जिसके सम्बन्ध में पंजीयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा की गई है। इस समबन्ध में पंजीयन शुल्क जमा कराया जा चुका है व उक्त भूखण्ड के विक्रय पत्र के निष्पादन के सम्बन्ध में मेरी माताजी व गवाहो के समक्ष उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 28.02.2022 को समस्त कार्यवाही की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में मैं दिनांक 28.02.2022 को समस्त पंजीयन शुल्क जमा कराने के उपरान्त भी वहां पर कार्यरत श्री विनोद गुप्ता ने मेरे से 8000/– रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर मैंने 4000 रूपये उसको दे दिये थे व मेरा पंजीयन विक्रय पत्र देने के लिये कहा तो श्री विनोद गुप्ता ने पूरे पैसे देने के उपरान्त ही पंजीकृत विक्रय पत्र देने के लिय कहा व बताया कि मेरी श्री विनोद गुप्ता से किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है न ही कोई पैसे का लेनदेन शेष है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया गया लेकिन परिवादी ने व्यस्त होना बताया। दिनांक 03.03.2022 को परिवादी उपस्थित कार्यालय आने पर श्री रविन्द्र कुमार कानि को तलब कर उनका आपस में परिचय करवाया गया तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को संदिग्ध द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा श्री रविन्द्र कुमार कानि नं. 467 को वाईस रिकॉर्डर सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी श्री अमिताभ शर्मा जब रिश्वत राशि की मांग के सम्बंध में संदिग्धों के पास वार्ता करने जाये तो उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें , लेकिन उक्त दिनांक को परिवादी को कोई निजि कार्य होने से सत्यापन में नहीं गया। दिनांक 04.03.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री रविन्द्र कुमार से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो कानि. रविन्द्र ने बताया की परिवादी श्री अमिताभ का मेरे पास फोन आया था जिसने बताया है कि मैं थोडी देर में आगरा रोड पर आपको मिल जाउंगा । उक्त दिनांक को बाद सत्यापन परिवादी श्री अमतिाभ शर्मा एवं श्री रविन्द्र कुमार कानि0 कार्यालय में उपस्थित आये। श्री रविन्द्र कुमार कानि0 ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश कर अवगत करवाया कि मैं और परिवादी श्री अमिताभ शर्मा आगरा रोड पर खानियां बस स्टॉप पर मिले जहां से रवाना होकर कार्यालय उप पंजीयक दौसा पहुंचे, जहां परिवादी को वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा मैं परिवादी व एक व्यक्ति को दृष्टिगत स्थान से वार्ता करते हुए देख रहा था। परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाके दिया था जिसे मैने बन्द किया था। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री रविन्द्र कुमार कानि0 की बातों की ताईद करते हुए बताया कि आगरा रोड खानियां बस स्टॉप से मोटरसाईकिल पर रवाना होकर कार्यालय उप पंजीयक दौसा पंहुचे जहां पर मुझे कार्यालय उप पंजीयक दौसा में विनोद मिला जिससे मैंने हमारे भूखण्ड की रजिस्ट्री मांगी तो वह मुझे अपनी कार के पास ले गया व उक्त रजिस्ट्री को देने के लिये पूर्व की मांग के अनुसार 4000/– रूपये देने के लिये कहा, जिस पर मैंने मेरी माताजी की बीमारी का बहाना करके वहां से आ गया। मेरे और विनोद के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना पाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी आलमारी में रखा गया। परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा गया तो परिवादी ने अवगत करवाया कि शेष राशि 4000 /– रूपये मै आईन्दा कार्यालय मे लेकर उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 07.03.2022 को पूर्व से पाबन्दशुदा श्री धर्मेन्द्र मीणा हाल पर्चा वितरक नगर निगम ग्रेटर जयपुर व श्री हेमचंद कुमावत पुत्र हाल फायर मैन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर व परिवादी श्री अमिताभ शर्मा भी उपस्थित कार्यालय आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कार्यवाही हेतु गवाहान बनने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति जाहिर की जिस पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया व स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा लिखा गया प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया जिस पर दोनों गवाहान ने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष